तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 7456 / 2006 / नागौर** **चन्द्राराम बनाम जग्गाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-8-2020	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री रामसुख चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी श्री गिरीश पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी श्री विजय दिवाकर, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेडता द्वारा प्रकरण संख्या 86/2006 शीर्षक "चन्द्राराम बनाम जगाराम" में पारित आदेश दिनांक 26–10–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा वादीगण/निगराकारान की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता को अस्वीकार किया गया है। उभय पक्षीय अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने अपने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था, इसके साथ में धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। खसरा नम्बर 553 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा पर प्रार्थी व उसके पिता का पुराना कब्जा काश्त चलता आ रहा है। अप्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रकरण में कब्जे का विवाद महत्वपूर्ण है, अतः कब्जे की वास्तविक स्थिति को रेकार्ड पर आने के लिए प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। मौका रिपोर्ट आने से न्याय निर्णय में सहायता प्राप्त होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन–रीजण्ड व नॉन–स्पीकिंग निर्णय से प्रार्थीगण का मौका कमिश्नर नियुक्ति का आवेदन खारिज किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में क्षेत्राधिकार का सदुपयोग नहीं होने से निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाए और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाए। अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि घोषणा, दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में मौके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 7456 / 2006 / नागौर** **चन्द्राराम बनाम जग्गाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाए जाने हेतु कमिश्नर नियुक्ति किया जाना उचित कार्यवाही नहीं है। मौका कमिश्नर नियुक्ति के आधार पर किसी पक्ष को कब्जे के सम्बन्ध में अपने पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी को अपने वाद को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से ही साबित करना होता है। योग्य अधिवक्ता ने अपने कथन की पुष्टि हेतु न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 792, आर0बी0जे0 2011 (18) पेज 230 इस बिन्दु पर प्रस्तुत किये और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का सदुपयोग करते हुये निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के अनुसरण में होने से निगरानी खारिज की जाये। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है, प्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9, एवं आदेश 39 नियम 7, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वाद में किसी विवाद बिन्दु के निर्धारण के लिये यदि न्यायालय उचित समझता है तो मौके की रिपोर्ट मंगाई जा सकती और मौके की रिपोर्ट मंगवाना या नहीं मंगवाना न्यायालय के परम क्षेत्राधिकार का प्रश्न है। यदि न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि प्रकरण में न्याय निर्णय, निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिये आवश्यक है तो वह मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाने का आदेश देने में सक्षम हैं। योग्य अधिवक्ता ने अन्त में कथन किया कि निगरानी का स्कोप सीमित होने से व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज की जाये। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या–1 के पिता प्रतापाराम की खातेदारी में अंकित है, जब कि प्रार्थी प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा काश्त होने का कथन करते हैं। धारा 212 के तहत उनके द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें भी अपना कब्जा काश्त होना बताते हुये मौका कमिश्नर नियुक्ति का आवेदन उनके द्वारा किया गया है। आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधान इस प्रकार से हैंः–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 7456 / 2006 / नागौर** **चन्द्राराम बनाम जग्गाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Commissions to make local investigations— In any suit in which the Court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market-value of any property, or the amount of any mesne profits or damages or annual net profits, the Court may issue a commission to such person as it thinks fit directing him to make such investigation and to report thereon to the Court: *Provided that, where the State Government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the Court shall be bound by such rules.* आदेश 26 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार न्यायालय किसी भी प्रकरण में विवाद बिन्दु के विशदीकरण के लिये अपेक्षित या उचित समझता है तो अन्वेषण हेतु कमीशन नियुक्त कर सकता है। यद्यपि मौका निरीक्षण करने का आदेश देना न्यायालय का क्षेत्राधिकार है किन्तु आवश्यकता होने की स्थिति में ही इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। घोषणा, दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र में प्रस्तुत किए गए धारा 212 के आवेदन को मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर निस्तारित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को चाहिए था कि वे सक्षम राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपने पक्ष को साबित करते। मौका रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने की किसी भी पक्ष को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। न्याय दृष्टान्त आर.बी.जे. (19)2012 पेज 546 पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से मत व्यक्त किया है :– **CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 - Order 26 Rule 9. Appointment of Commissioner. Commissioner can not be appointed for collection of evidence**. न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 159 पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि **साक्ष्य द्वारा अधिकार को वादी द्वारा साबित करना आवश्यक है– साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।** न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 792, आर0बी0जे0 2011 (18) पेज 230 में भी इसी प्रकार का अभिमत पारित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उन्हें विधिक रुप से प्रदत्त न्यायिक क्षेत्राधिकार के सदुपयोग में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है और इसमें किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार सम्बन्धी या विधिक त्रुटि नहीं होने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन पाये जाने से **खारिज** की जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 7456 / 2006 / नागौर** **चन्द्राराम बनाम जग्गाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय की सूचना उभय पक्ष के अधिवक्तागण को दी गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	